राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

ताराचन्द परिहार व अन्य : बनाम : विजया बैंक व अन्य

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या: **45/1988**

अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

* * * * *

निर्णय दिनांक : **13** फरवरी, **2006**

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र चौपड़ा,
रेस्पोंडेण्ट्स के अधिवक्ता श्री अरूण भंसाली।

न्यायालय द्वारा :

यह अपील अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.1987 की नाराजगी में प्रतिवादी-अपीलाण्ट ताराचन्द व बसन्त कुमार की ओर से पेश की गई है।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार रहे कि वादी विजया बैंक द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के रू. 38,125.25 पैसे की वसूली का पेश किया जिसमें तथ्य यह रहे कि प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द को अपने व्यापार व व्यवसाय के लिए एक नई स्टेन्डर्ड 20 मिनी ट्रक की आवश्यकता थी, जिसे खरीदने के लिए वादी बैंक की स्टेशन रोड, जोधपुर शाखा पर रू.51,000/- का

अवधि ऋण प्राप्त करने हेतु दिनांक 21.1.1981 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 बसन्त कुमार व प्रतिवादी संख्या 3 पूसाराम ने जमानतदार बनना स्वीकार किया। प्रार्थना-पत्र पर विचार करने के बाद 51,000/- तक की अवधि ऋण सुविधा प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की जमानत पर स्वीकार की गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रोमेसरी नोट, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जमानत नामा तहरीर व तकमील किया। इस ऋण की रकम की पुन: अदायगी प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक को 1300/- रूपए प्रतिमाह ब्याज की राशि के साथ अदा करने की जिम्मेदारी रखी गई थी और मिनी ट्रक को भी बैंक के पास हाईपोथिकेट की गई। ब्याज की दर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की निर्धारित ब्याज दर से ऊपर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष व न्यूनतम 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक विश्राम के आधार पर अदा करने के लिए भी पाबन्द किया गया। वादी ने उपरोक्त दस्तावेजात व जमानत नामा हाईपोथिकेशन कागजात प्रतिवादीगण द्वारा तहरीर व तकमील किए गए और रकम का भुगतान भी मैसर्स जोधपुर टायर्स, चौपासनी रोड, जोधपुर के नाम प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द के निर्देशानुसार जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अवधि ऋण की तयशुदा शर्तो के अनुसार समय पर माहवारी किश्तों की अदायगी नहीं की न ब्याज की अदायगी की, जिन्हें लिखा भी गया। इस प्रकार ऋण खाते के विवरण अनुसार मात्र 29,373 रूपए 87 पैसे ही ताराचन्द द्वारा जमा कराए गए। बावजूद तकाजे के रकम की अदायगी नहीं की। इस प्रकार 9.9.1984 तक कुल रूपये 38,125.25 पैसे बकाया रहे। नोटिस भी दिया गया, बावजूद नोटिस के रकम की अदायगी नहीं की है। इस प्रकार

वादी द्वारा यह वाद रूपए 38,125.25 पैसे की वसूली का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया व मय ब्याज वाद की तिथि से डिक्री की तिथि तक और बाद में तावसूली रकम तक मय ब्याज डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की। जो ट्रक वादी बैंक के पास हाईपोथिकेट किया हुआ है, उपरोक्त ट्रक को बेचकर वसूली करने का आदेश देने की भी इस्तदुआ की गई और उपरोक्त प्रकार से वसूली नहीं हो तो वादी प्रतिवादीगण से अन्य प्रकार से वसूली की भी इस्तदुआ की।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। वाद-पत्र के पैरा 3 को अंशत: सही होना स्वीकार किया। पैरा 4 व 5 के बारे में विवाद नहीं होना कहा और पैरा नम्बर 1 व 2 को जानकारी के अभाव में और अस्पष्ट होने से अस्वीकार किया। पैरा 6 के जवाब में यह अंकित किया कि ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष ऊपर ब्याज की दर होना भी अस्वीकार किया। पैरा 7 अ-ब के सम्बन्ध में विवाद नहीं होना और 7-स गलत होना व 1300/- रूपए प्रतिमाह की किश्त में ब्याज की राशि के साथ अदायगी की शर्त नहीं थी, अंकित किया। पैरा 7-द के बारे में विवाद नहीं होना कहा। 11.85 प्रतिशत की ही दर ब्याज की हो सकती थी। प्रतिवादी द्वारा समय-समय पर अदायगियां की गई जो जानबूझ कर खाते में नहीं लिखी गई। वादी द्वारा जो राशि अदायगी की बताई है उससे अधिक राशि जमा कराई गई है। कुल 36,370 रूपए 87 पैसे की राशि वादी के यहां जमा करा दी गई थी। प्रतिवादी द्वारा राशि जमा कराने के दिन ही ऋण खाते में राशि जमा होनी चाहिए थी, मगर वादी द्वारा जानबूझ कर प्रतिवादी के बचत खाता संख्या 5725 में जमा राशियों को एल.एम.वी. 4/81 में जमा करने में तीन-तीन माह

का समय व्यतीत कियाऔर राशि जमा की गई। प्रतिवादी द्वारा अवधि खाते में राशिया जमा नहीं कराई गई, बचत खाते में ही राशियां जमा कराई गई थी जिन्हें वादी द्वारा एल एम वी खाते में ट्रांसफर किया गया था। नोटिस प्राप्त हुआ था, जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी। वादी द्वारा जानबूझ कर बचत खाते की नकल पेश नहीं की गई है। दावा मयाद बाहर होना भी बताया और वाद खारिज करने की इस्तदुआ की। प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ कार्यवाही इकतरफा रही।

उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :

1. क्या वादी बैंक ने प्रतिवादी संख्या 1 श्री ताराचन्द परिहार को प्रतिवादी संख्या 2 श्री बसन्त कुमार परिहार व प्रतिवादी संख्या 3 श्री पुसाराम की जमानत पर रूपये 51,000/- की अवधि ऋण सुविधा रिजर्व बैंक की ब्याज दर से उपर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष व न्यूनतम 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर त्रैमासिक विश्राम के साथ स्वीकार की थी।
---वादी
2. क्या प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी बैंक के पक्ष में जमानत नामा निष्पादित किया था।
.---वादी
3. क्या वादी बैंक प्रतिवादीगण से रूपये 38,125)25 पैसे की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
---वादी
4. क्या वादी बैंक द्वारा प्रस्तुत वाद समयावधि में है।
---वादी
5. क्या श्री एच० आर० सेठी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।
---वादी
6. अनुतोष।

वादी द्वारा साक्ष्य में पी.ड 1 के० जयशंकर शेखा व पी.ड 2 एच रघुराम सेठी के बयान कराए गए। प्रतिवादी की ओर से टी.सी.परिहार प्रतिवादी के बयान हुए। दस्तावेज भी वादी की ओर से प्रदर्श 1 से लगायत प्रदर्श 15

प्रदर्शित कराए गए। प्रतिवादी की ओर से भी प्रदर्श 1 से 5 दस्तावेजात प्रदर्शित कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय से वादी का वाद रू. 38,125.25 पैसे का मय ब्याज व खर्चा मुकदमा के डिक्री किया और जो रहन मिनी बस थी उसे बेचान कर डिक्री की धनराशि को वसूल करने का आदेश भी दिया और यदि उपरोक्त प्रकार से वसूली नहीं होती हो तो व्यक्तिगत रूप से चल व अचल सम्पति से वसूली करने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का प्रथम तर्क यह रहा कि तनकी नम्बर 3 का निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है और साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है। 6,000/- रूपए और 1900/- रूपए की राशि जमा कराई गई थी जो खाते में नहीं मिलती है। 6,000/- रूपए की जगह 600/- रूपए ही जमा बताए गए हैं और 1900/- रूपए की राशि करण्ट खाते से निकालकर जमा की गई और वापस करण्ट खाते में जमा कर ली गई है। इस प्रकार दोनों ही राशियां करण्ट खाता संख्या 787 से खाते में जमा कराए गए थे। इसके अलावा 5000/- रूपए भी जमा कराने के सम्बन्ध में अपील में एतराजात लिए गए हैं जो 25.1.1984 को जमा कराए गए, जो भी बाद नहीं दिए गए हैं।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट का तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में 5,000/- रूपए के सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं

उठाया गया, 6,000/- रूपए व 1900/- रूपए के सम्बन्ध में ही एतराज उठाया गया था, मगर इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिवादी के विशिष्ठ अभिवचन जवाबदावे में नहीं है। प्रतिवादी से इस सम्बन्ध में जिरह भी हुई है और जवाबदावे में यह एतराज क्यों नहीं लिया इसका कोई कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार उनका तर्क रहा कि यह बाद में सोचे हुए तथ्य हैं। 1900/- रूपए व 6,000/- रूपए जमा कराने की रसीद भी न्यायालय में पेश नहीं की गई। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा कोई भी तरहरीरी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जुबानी ही साक्ष्य दी गई, जो अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार नहीं की। प्रदर्श ए 1 खाते की नकल पेश हुई है इसमें 1900/- रूपए का इन्द्राज 5 अक्टूबर, 1983 को होना पाया जाता है और 6,000/- रूपए के इन्द्राज अवश्य इसमें नहीं है, मगर 600/- रूपए का इन्द्राज इसमें बताया गया है। यदि विकल्प में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस को सही भी माना जावे कि यह 6,000/- रूपए की राशि ट्रांसफर होकर प्राप्त हुई थी तो 24 जून, 1983 को रू.40,755.50 पैसे का बैलेंस था और 12.9.1983 को यह बैलेंस रू.34,755.50 पैसे रहा। इससे भी स्पष्ट है कि मात्र 600/- रूपए जमा बताने से बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, हालांकि प्रतिवादी स्वयं ही 6,000/- रूपए की राशि जमा कराई गई हो, करण्ट खाते से प्रमाणित नहीं कर पाया है, रू.600/- ही जमा होने पाए गए हैं।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया। जहां तक 5,000/- रूपए की राशि की अदायगी का प्रश्न है, इस अपील में प्रथम बार यह एतराज उठाया गया है कि 25.1.1984 को 5,000/- रूपए जमा कराए गए थे जो लोन खाते में जमा नहीं की गई। करण्ट खाते की कोई नकल पेश नहीं

की गई। 5,000/- रूपए की राशि 21.1.1984 को प्रदर्श ए-1 में पाई भी जाती है क्योंकि पूर्व बैलेंस दिसम्बर,1983 तक रू.37,546.35 पैसे था और 5,000/- रूपए कम करने पर यह रू.32,546.35 पैसे आया है। इस प्रकार 5,000/- रूपए के बारे में जो अपील में एतराज उठाया गया है, इसमें कोई बल नहीं रहता। इसी प्रकार 1900/- रूपए की राशि 5 अक्टूबर, 1983 को करण्ट खाते से जमा हुई है और यह पुन: करण्ट खाते में 11 अक्टूबर, 1983 को जमा कर ली गई है। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से जो साक्ष्य आई है, वादी के गवाह के.जयशंकर शेखा (पी.ड.1) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि प्रदर्श 6 प्रतिवादी संख्या 1 ने उन्हें लिखकर दिया था कि करण्ट खाते से लोन खाते में रकम ट्रांसफर नहीं की जावे। इस प्रकार करण्ट खाते से लोन खाते में 1900/- रूपए की राशि दिखाई गई, मगर पुन: यह करण्ट खाते में डाल दी गई जिससे प्रतिवादी को कोई नुकसान होना नहीं पाया जाता। इस प्रकार 1900/- रूपए के सम्बन्ध में जो एतराज है, वह भी बल नहीं रखता। रू.6,000/- की राशि के सम्बन्ध में प्रतिवादी ने अपने बयानो में बताया है कि 6,000/- रूपए की राशि उसके द्वारा जमा कराई गई थी जो जमा नहीं की गई, मगर 6,000/- रूपए की राशि जमा कराई गई और जमा नहीं की गई, के सम्बन्ध में कोई एतराज जवाबदावे में नहीं लिया गया। 1900/- रूपए व 6,000/- रूपए की जमा की रसीदें उसके द्वारा पेश नहीं की गई। इस प्रकार यह सीधी रकम जमा कराई गई हो, इसकी कोई भी साक्ष्य प्रतिवादी की नहीं है न ही कोई रसीद उसके द्वारा पेश की गई है और साथ ही जवाबदावे में भी इस सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं लिया गया। प्रदर्श ए-1 खाते के अवलोकन से यह अवश्य पाया जाता है कि 12.9.1983 को करण्ट खाते से

600/- रूपए जमा होना पाया गया है, मगर बैलेंस देखने से यह प्रतीत होता है कि 6,000/- रूपए की राशि करण्ट खाते से जमा हुई है। इस प्रकार बैलेंस रू.40,755.50 पैसे के बाद रू.34,755.50 पैसे रहा है। इस दृष्टि से भी देखें तो स्पष्ट है कि यदि 6,000/- रूपए करण्ट खाते के मार्फत जमा हुए हैं तो प्रदर्श ए-1 में बैलेंस में कम भी किए गए हैं। 6,000/- रूपए अलग से कोई लोन खाते में जमा कराए गए हों, इसकी कोई भी साक्ष्य प्रतिवादी-अपीलाण्ट की नहीं आई। करण्ट खाते से अवश्य 600/- रूपए जमा होना वादी बैंक द्वारा बताया गया है, मगर बैलेंस को देखने से प्रतीत होता है कि हो सकता है 6,000/- रूपए जमा हुए हों जो करण्ट खाते से जमा हुए हैं क्योंकि बैलेंस 6,000/- रूपए कम किया गया है। इस दृष्टि से भी बैलेंस में चूंकि कोई फर्क नहीं आया और रू.40,755.50 पैसे के बाद रू.34,755.50 पैसे किया हुआ है। 6,000/- रूपए बैंक द्वारा पूर्व में कम कर दिए हैं। मात्र 600/- रूपए लिखे जाने का फायदा प्रतिवादी-अपीलाण्ट लेना चाहता है जो लेने का वह अधिकारी नहीं रहता। तकनी नम्बर 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 38,125/- रूपए 9.9.1984 तक बकाया रहे थे जो उपरोक्त राशियां जो जमा हुई है, दिखाने के बाद व ब्याज व खर्चा जोड़ने के बाद जमा होना बताई गई है। ब्याज व खर्चे के सम्बन्ध में जो एतराज है, इस पर आगे विचार करूंगा।

इस प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के प्रथम तर्क से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि 1900/- रूपए और 6,000/- रूपए की राशि बाद नहीं दी गई हो या जमा नहीं की गई हो और उस राशि का कोई प्रतिवादी-अपीलाण्ट को नुकसान हुआ हो। तमाम साक्ष्य के अवलोकन के बाद, अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर जो निर्णय किया गया है, इसमें कोई हस्तक्षेप के आधार नहीं है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का दूसरा तर्क यह रहा कि बचत बैंक खाते में वादी रकम जमा कराता था जिसका बचत खाता संख्या 5725 है और जानबूझ कर प्रतिवादी द्वारा तीन-तीन माह का समय व्यतीत करने पर भी राशि अवधि ऋण खाता 4/81 में जमा नहीं की उससे ब्याज व खर्चे की भी उसे हानि हुई है। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादी के बयानो की ओर ध्यान आकर्षित किया और वादी के गवाहों के बयानो की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट का तर्क रहा कि बचत खाते से राशियां जब-जब जमा हुई अवधि ऋण खाते में जमा की गई थी। करण्ट खाते से राशि ट्रांसफर नहीं करने की भी हिदायत प्रदर्श 9 के जरिए प्रतिवादी ने दी थी। बीमा की राशि भी जमा होनी थी और चूंकि बीमा की राशि समय पर नहीं दी जाती इसलिए कई बार राशि रोकी गई और वादी के गवाह पी.ङ 1 के.जयशंकर शेखा ने अपने बयानो में इसका स्पष्टीकरण दिया है।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया एवं खाते का अवलोकन किया गया और दोनों गवाहों के बयानो का अवलोकन किया। बचत खाता की नकल रेकर्ड पर पेश की गई है, इसे प्रदर्श अवश्य नहीं कराया गया है, मगर वादी के गवाह से जिरह हुई है और गवाह के.जयशंकर शेखा का बयान है कि जो ऋण दिया था उसकी अदायगी माहवारी किश्तों में होनी थी। ताराचंद का उनके यहां सेविंग बैंक खाता था और मारजीन

मनी सेविंग खाते में जमा हुई थी। जो भी अदायगी की जाती वह प्रतिवादी ताराचन्द अपने सेविंग बैंक खाते में जमा करवाता व ड्यू डेट पर किश्त की रकम उसके ऋण खाते में जमा करते। पहली किश्त 5 अक्टूबर, 1981 को देय थी, उसके बाद हर माह की 5 तारीख को किश्त देय हो जाती थी। प्रदर्श ए 1 स्टेटमेण्ट में 600/- व 1900/- रूपए की दो प्रविष्टियां हैं, इसके अलावा डिपोजिट की शेष एण्ट्रीया ट्रांसफर की एण्ट्रीया हैं जो सेविंग बैंक खाते से ट्रांसफर होकर आई। 1900/- रूपए 5 अक्टूबर को डिपोजिट पेटे जमा हुए व 11 अक्टूबर को इस राशि को विड्रोल में दिखाया गया है क्योंकि वापस लोन खाते से करण्ट खाते में डाल दी थी क्योंकि प्रदर्श 9 के द्वारा प्रतिवादी ने निर्देश दिया था कि करण्ट खाते से लोन खाते में ट्रांसफर नहीं करें। मासिक किश्त 1300/- रूपए थी। 30 अक्टूबर, 1981 को प्रतिवादी संख्या 1 के सेविंग बैंक खाते में रू.3025.40 पैसे का बैलेंस था। 5 अक्टूबर को भी 1300/- रूपए से अधिक राशि जमा थी, मगर उस रोज लोन खाते में कोई रकम ट्रांसफर नहीं की गई न 30 अक्टूबर, 1981 को प्रतिवादी के सेविंग बैंक खाते से लोन खाते में ट्रांसफर की एण्टरी की गई। 5 नवम्बर को भी नहीं की गई। 5 नवम्बर, 1981 को प्रतिवादी संख्या 1 के सेविंग बैंक खाते में रू.3025.40 पैसे का बैलेंस था। 9 फरवरी, 1982 को रू.2119.19 पैसे बैलेंस था। सेविंग बैंक खाते में ब्याज कम दिया जाता है, यह भी स्वीकार करता है। 16 जून, 1982 को रू.1609.87 पैसे सेविंग बैंक खाते में बैलेंस था, मगर उस रोज भी कोई ट्रांसफर एण्टरी नहीं की गई। वादी ने यह स्वीकार किया है कि कभी-कभी प्रतिवादी संख्या 1 के एस बी खाते में ड्यू डेट को स्टोलमेण्ट से अधिक राशि उपलब्ध थी लेकिन उसे ड्यू डेट को लोन

एकाउण्ट में ट्रांसफर नहीं किया गया था। इसका स्पष्टीकरण दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 के लिए जरूरी था कि वह वाहन के बीमे की राशि समय-समय पर जमा करावे। वह राशि समय-समय पर जमा नहीं होती थी इसलिए उसे मौका देते थे कि वह समय पर जमा करवा दें। बीमे की रकम की अदायगी प्रदर्श 5 की शर्त 3 के मुताबिक कर रहे थे और सही स्थिति यह भी है कि बीमे की किश्त अदा कर देते थे इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के एस.बी. खाते में राशि कम हो जाती थी और किश्त अदा नहीं हो पाती थी। ब्याज भी प्रतिवादी संख्या 1 के एस बी खाते से लोन खाते में क्वाटरली जमा होता था। बीमा प्रीमियम सालाना जमा होना था। 21 नवम्बर, 1981 को 1001/- रूपए बीमा प्रीमियम के अदा किए। इसके बाद 13 दिसम्बर, 1982 को 1198/- रूपए बीमा प्रीमियम के अदा किए। बीमा की अगली किश्त की रकम 1238/- रूपए 25 अगस्त, 1984 को जमा कराई गई थी, इस दरम्यान बीमे की कोई किश्त जमा नहीं हुई, अवश्य बयान दिया है। प्रदर्श 5 की शर्त 6 के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में नोटिस का खर्चा व फोटो स्टेट का खर्चा भी जोड़ा है। इस गवाह ने अन्त में यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी के एस.बी.खाते में ड्यू तारीखों को इतनी रकम नहीं थी कि किश्त, ब्याज व प्रीमियम की रकम समायोजित हो सके। इस कारण कुछ तारीखों को बकाया किश्तों की ट्रांसफर एण्टरी नहीं हुई।

प्रतिवादी द्वारा अपने बयानो में मात्र यही कहा है कि रकम उसके द्वारा जमा की गई थी मगर समय पर ऋण खाते में ट्रांसफर नहीं की गई। मगर वादी के गवाह ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया है कि बीमे की राशि, ब्याज की राशि व किश्त की रकम समायोजित होती थी

इसलिए कई बार रकम होते हुए भी ट्रांसफर नहीं की गई। इस प्रकार वादी का जो स्पष्टीकरण साक्ष्य में आया है, इसे नहीं मानने के कोई कारण नहीं है और यदि कुछ महिनों में बैलेंस एस.बी. खाते में किश्त से अधिक रहा है तो उसका स्पष्टीकरण भी दिया है कि बीमा राशि व ब्याज की राशि जमा होनी थी, इन सभी कारणों से कुछ महिनों में जैसे 30 अक्टूबर, 1981, 5 अक्टूबर, 1981, 9 फरवरी, 1982 और 16 जून, 1982 को एस.बी.खाते में रकम अधिक होते हुए भी राशि ट्रांसफर नहीं हुई और इसका स्पष्टीकरण भी वादी के गवाह ने दिया है, जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं है।

इस प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के इस तर्क से मैं सहमति नहीं रखता कि एस.बी. खाते में कुछ महिनो में अधिक राशि होते हुए भी देरी से उनके ऋण खाते में राशि जमा की गई। वादी द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह संतोषजनक पाया जाता है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह भी तर्क रहा कि ब्याज 17.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाया गया है जो अधिक लगाया गया है, जबकि पी.ड 1 के.जयशंकर शेखा का बयान है कि ब्याज की दर 12 रूपए प्रतिशत प्रतिवर्ष तय हुई थी जो रिजर्व बैंक की दर से 2.5 प्रतिशत ऊपर थी। ब्याज हर तिमाह के अन्त में दिया जाना था। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क रहा कि जो ब्याज जोड़ा गया है वह 17.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जोड़ा गया है। उनका यह भी तर्क रहा कि नोटिस खर्चा और अन्य राशि जो लगाई गई है उसके लिए भी प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है। जबकि इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट का तर्क रहा कि दावा किया तब तक जो राशि बैंक द्वारा बकाया होना बताई है वह माफिक

इकरार की शर्तो के अनुसार उचित है जिसमें खर्चा व टाईपिंग चार्जेज लगाकर जो राशि जोड़ी गई है।

मेरे द्वारा विचार किया गया। जहां तक ब्याज का प्रश्न है, ब्याज की शर्त स्पष्ट रूप से तय हुई है कि रिजर्व बैंक की दर से 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक होगी और न्यूनतम 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, जो त्रैमासिक विश्राम के साथ देय होगी। खर्चे के लिए भी प्रदर्श 5 में 6 नम्बर की शर्त स्पष्ट है कि जो भी खर्चा किया जाएगा वह भी स्वयं प्रतिवादी भुगतेगा, स्पष्ट रूप से लिखा है। इस प्रकार नोटिस के खर्चे और जो भी टाईपिंग खर्चा हुआ है उसकी रकम जो जोड़ी गई है वह भी वादी प्रतिवादी से पाने का अधिकारी बनता है। ब्याज की जो शर्त लगाई गई है, माफिक इकरार के लगाई गई है, जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष न्यूनतम ब्याज दर होना इकरार में पाया गया है और पी.ड 1 के.जयशंकर शेखा के बयानो से भी यह प्रमाणित हुआ है। इस प्रकार जो भी ब्याज लगाया गया है और नोटिस खर्चा आदि लगाया गया है वह माफिक इकरार की शर्तो के लगाया गया है, जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादी का यही कहना है कि 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर ऋण दिया गया, जो मात्र जुबानी बयानो में कहा है, मगर दस्तावेजों के अवलोकन से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताई गई है, अत: यह प्रतिवादी स्वयं द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के विरूद्ध है। रिजर्व बैंक की दर से 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ऊपर राशि ब्याज की लगाई गई है जो वाजिब है, जिसमें हस्तक्षेप के कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ब्याज

की दर दौराने दावा से तावसूली रकम तक क्या होगी, स्पष्ट नहीं की गई है और निर्धारित तथा तयशुदा ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, मात्र लिखा है। इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य लिखना चाहूंगा कि वादी दौराने दावा से तावसूली रकम 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर जो न्यूनतम दर ब्याज की रखी है, दावे की राशि पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के अलावा इस अपील में मैं कोई बल नहीं पाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में उपरोक्त धनराशि रू.38,125.25 पैसे पर वक्त अदायगी तक वादी बैंक निर्धारित एवं तयशुदा ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा, लिखा है। चूंकि ब्याज की शर्त अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं खोली है और अस्पष्टता निर्णय में प्रतीत होती है, इसको स्पष्ट करते हुए मैं यह अवश्य लिखना चाहूंगा कि उपरोक्त धनराशि पर तारीख अदायगी तक वादी प्रतिवादी से न्यूनतम ब्याज की दर, जो 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखी गई है, की दर से ही उपरोक्त राशि पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप, वादी की साक्ष्य से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 से 3 पूर्ण रूप से प्रमाणित पाई है और साक्ष्य का सही मूल्यांकन करके उक्त तनकियात का निर्णय किया गया है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.1987 में ब्याज के सम्बन्ध में उपरोक्त स्पष्टीकण करते हुए, हस्तक्षेप करने के कोई आधार नहीं है। अत: इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह

अपील खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(न्‍ यायाधिपति कृष्‍णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा